

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ठारुआ बनाम जयपाल S/O सुरेशिजा  
प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 19/2022

निर्णय दिनांक :- 20/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानोता  
की आ.ख.न. 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गोबर में से 0-15  
रकबे पर श्री जयपाल S/O सुरेशिजा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर  
कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ठारुआ द्वारा दिनांक 05/2022  
को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तार्ड  
भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी जयपाल S/O सुरेशिजा निवासी रानोता को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी  
उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 112 रकबा 3.00 में से 0-15  
रकबे किस्म गोबर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा दरौदा को अतिक्रमि  
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 2.79  
का 50 गुणा 140/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ठारुआ भू.अ.निरी. दरौदा  
को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

मिथ  
तहसीलदार (अलवर)  
कठूमर, अलवर (राज.)